जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर ग्रीन-फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय व्यवस्था/प्रबन्धन एवं हिण्डन एयरबेस को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति (संलग्न है)

(क) जेवर एयरपोर्ट

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा बताया गया कि जेवर ग्रीन-फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु भारत सरकार के स्तर पर 'इन-प्रिन्सिपल' एप्रूवल हेतु निर्णय लिए जाने के लिए दिनांक 23.04.2018 को भारत सरकार में स्टीयरिंग कमेटी की 28वीं बैठक आहूत की गई है। 'इन-प्रिन्सिपल' एप्रूवल के उपरान्त प्रश्नगत एयरपोर्ट की स्थापना के लिए अपेक्षित कार्यवाही एवं प्रक्रियाएं प्रारम्भ हो जाएंगी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(1) सर्वप्रथम भूमि के अर्जन/क्रय की कार्यवाही के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की जानी होगी। जेवर अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीन-फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु वांछित 1441 हैक्टेयर भूमि के अर्जन/अधिग्रहण के लिए लगभग रूपए 4000 करोड़ का व्यय ऑकलित किया गया है। इसके लिए बैठक में उपस्थित अधिकारियों से विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत परियोजना हेतु कम्पनी/एस0पी0वी0 का स्वरूप अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ विचार-विमर्श/समन्वय करके प्रस्तावित किया जाएगा। तदोपरान्त औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा कम्पनी/एस0पी0वी0 का गठन और इसके अंशधारकों द्वारा अंशपूंजी आदि का निर्धारण प्रस्तावित किया जाएगा। यह भी कहा गया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निम्नवत् कम्पनी/एस0पी0वी0 और उनकी अंशपूंजी प्रस्तावित की जा सकती है, जिसमें वे सम्बन्धित पक्षों से विचार-विमर्श और उनकी वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संशोधन भी कर सकते है:-

एस0पी0वी0 के अंशधारक	**उनके द्वारा प्रस्तावित अंशपूंजी (करोड़ रूपए में)**
1. नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0	1500
2. नोएडा विकास प्राधिकरण	1500
3. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण,	500
4. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	500
योग	**4000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त से प्राप्त सुझाव के आधार पर कम्पनी/एस0पी0वी0 का गठन और उनके अंशधारकों की अंशपूंजी का निर्धारण एवं कम्पनी/एस0पी0वी0 के स्वरूप आदि से सम्बन्धित अन्य संगत बिन्दुओं का विनिश्चय मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश प्राप्त करके किया जाएगा।

(ख) हिन्डन एयरपोर्ट

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि हिंडन एयरबेस पर सिविल टर्मिनल तथा सम्पर्क मार्ग विकसित करने हेतु निम्नवत भूमि की आवश्यकता है। जिसमें

मद	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	लीज रेंट रुपए प्रति वर्ष
सिविल ऐन्क्लेव टर्मिनल हेतु	22628	45,25,600
सम्पर्क मार्ग हेतु	19441	38,88,200
कुल	42069	84,13,800

स्वामित्व की दृष्टि से

आवास विकास परिषद	11400 वर्ग मीटर
सिंचाई विभाग	504 वर्ग मीटर
कृषकों/निजी भूमि स्वामियों की भूमि	30165 वर्ग मीटर

बैठक में निम्नवत निर्णय लिए गए:

(1) सिविल टर्मिनल के लिए आवश्यक 22628 वर्ग मीटर भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहमति से उस अवधि के लिए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए, लीज रेंट पर कृषकों/ भूस्वामियों से प्राप्त कर ली जाए। इस हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एमओयू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अधिकृत कर दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.1. लीज रेंट निर्धारित करने तथा कृषकों/ भूस्वामियों से लीज डीड कराने हेतु राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अधिकृत कर दिया जाए।

1.2. इस भूमि के लिए लीज रेंट के रूप में आवश्यक धनराशि 45,25,600/- रुपए प्रति वर्ष अप्रैल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इस भूमि के लीज रेंट के रूप में भूस्वामियों को यथा देयता धनराशि दी जाएगी।

(2) मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग (मोहन नगर से सिकंदरपुर मार्ग, जिसकी लंबाई 630 मीटर चौड़ाई 18 मीटर है), आवास विकास परिषद के स्वामित्व वाले इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही आवास विकास परिषद द्वारा 2 माह में सुनिश्चित की जाएगी।

(3) सिकंदरपुर मार्ग से हिंडन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित मार्ग हेतु आवश्यक भूमि आवास विकास परिषद द्वारा भूस्वामियों से क्रय कर ली जाए तथा उस पर सड़क निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाए।

(4) उपरोक्त मार्ग पर विद्युत/प्रकाश व्यवस्था नगर निगम गाजियाबाद द्वारा की जाएगी। जिलाधिकारी, गाजियाबाद इसका अनुश्रवण कर समय से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(5) हालांकि हिंडन एयरपोर्ट को पूर्ण RCS Airport की Category मे नहीं रखा गया है, किंतु नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोधानुसार हिंडन एयरपोर्ट पर Security तथा Fire Services की व्यवस्था RCS airports की भांति हिंडन एयरपोर्ट पर भी किए जाने हेतु गृह विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा हिंडन एयरपोर्ट पर RCS airports की भांति ही रियायती दरों पर Water तथा Electricity की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-43/2018/839/छप्पन-2018-31/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- बैठक में उपस्थिति समस्त अधिकारीगण।
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5- निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।